

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2024 -25/ 19/16

दिनांक 12-3-2025

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- भवरगढ से नाहरगढ सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु।

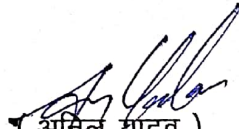
Proposal no.FP/RJ/Road/40677/2022 (3.893 ha)

संदर्भ:- उप वन संरक्षक, एफ.सी.ए राज0 जयपुर का पत्र क्रमांक 998 दिनांक 16.12.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से चाही गयी रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है।

S.N	EDS	Date - 16.12.2024	Reply
1.	उप वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में निर्मित सडक 1980 से पूर्व की है अतः उसे शामिल नहीं किया गया है। जबकि पूर्व में उसका प्रत्यावर्तन नहीं किया है। वर्तमान में सडक 16 मीटर चौड़ाई में Widening and strengthening के लिये प्राप्त हुआ है। पूर्व सडक का क्षेत्र भी प्रत्यावर्तन में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।		उक्त सडक 1980 से पूर्व से बनी हुई है वर्तमान में सडक के चौड़ाईकरण हेतु प्रस्ताव दिया गया है। इस कार्यालय के रिकार्ड अनुसार प्रस्तावित मार्ग वन क्षेत्र है परन्तु 1980 से पूर्व की होने के कारण तथा प्रस्ताव सडक के चौड़ाईकरण का है इस कारण प्रस्तावित क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।
2.	प्रस्ताव में गैर वन भूमि 3.435 है0 एवं वन भूमि 893 है0 अर्थात् कुल 7.328 है0 होती है। प्रस्ताव में 0/475 to 19/00 km अर्थात् 18.525 कि मी रोड निर्माण की जानी है। अतः 11.17 है0 कुल भूमि की आवश्यकता होगी जिसमें से वन क्षेत्र 3.893 है0 कम करने पर 7.2794 है0 गैर वन भूमि होगी जिसका आंकन किया जाना है।		यह सडक राजस्व में दर्ज है तथा राजस्व राजस्व में एरिया की गणना नहीं की गई है। केवल वन क्षेत्र में आने वाले खसरे जिसमें चौड़ाई बढ़ानी है। (13100 से 17680 कि.मी उसका ही आंकन किया गया है। स्वीकृति 0/475 से 19/00 कि.मी है किन्तु सडक का निर्माण 13/00 से 19/ 00 तक ही किया जायेगा।
3.	प्रस्ताव में आठ माह में डिजिटल सीमाओ को सही करने की कार्यवाही जारी होना बताया गया है जो उचित नहीं है।		प्रस्तावित वन भूमि का आंकलन इस कार्यालय के रिकार्ड अनुसार किया गया है डिजिटल सीमाओ को सही कर दिया गया है।


(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक

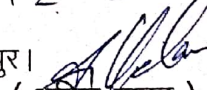
बारां

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2024-25/ 19/11

दिनांक 12-3-2025

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.अति:प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राज0 जयपुर।


(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक

बारां